अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

08 20.12.2023	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 113/2023 राज्य बनाम् सरवर खान, पिता स्व० शेख गफुर उर्फ स्व० गफुर खान, निवासी– सैदा बुमरु, थाना– धुर्वा, जिला–राँची (झारखण्ड) .... विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1191/डी०सी०बी० दिनांक 16.09.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी सरवर खान, पिता स्व० शेख गफुर उर्फ स्व० गफुर खान, निवासी– सैदा बुमरु, थाना– धुर्वा, जिला–राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जो निम्नांकित हैं:– 1. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं०–34/13, दिनांक 02.03.2013, धारा–120 (बी०)/224/225 भा०द०वि० । 2. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं०–83/13, दिनांक 11.04.2013, धारा–364 (ए०) भा०द०वि० 3. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं०–166/13, दिनांक 07.07.2013, धारा–147/148/149/447/307/427 भा०द०वि० 4. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं०–177/17, दिनांक 22.07.2017, धारा–302/201/394 भा०द०वि०, 27 शस्त्र अधि० 5. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं०–165/23, दिनांक 11.06.2023, धारा–147/148/149/341/323/504/506/379/386/3	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4 भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधि० ।

6. तुपुदाना ओ०पी० सन्हा सं0–12/23, दिनांक 26.08.2023

7. तुपुदाना ओ०पी० सन्हा सं0–10/23, दिनांक 28.08.2023,

8. तुपुदाना ओ०पी० सन्हा सं0–10/23, दिनांक 29.08.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक हटिया, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक– 2012/23, दिनाक 30.08.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि सरवर खान, पिता स्व० शेख गफुर उर्फ स्व० गफुर खान, निवासी– सैदा बुमरु, थाना–धुर्वा, जिला–राँची एक असमाजिक तत्व है। ये हाल में ही जमानत पर मुक्त हुए है। विपक्षी अपने सहयोगियों के साथ आये दिन धमकी, रंगदारी की घटनाओं को अंजाम देता है ये तथा इनके गुर्गो द्वारा आये दिन कही न कही आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इनके तथा इनके सहयोगियों के द्वारा राँची तथा आसपास के इलाको में रंगदारी एवं धमकी दी जा रही है। ये आए दिन हथियारों के बल पर आम जनता को धमकाते रहते हैं परंतु इनके भय से आम लोग थाना में इनके विरुद्ध शिकायत नहीं करते हैं। इनके विरुद्ध कई कांड एंव सन्हा दर्ज है। ये एक पेशेवर अपराधी है। इनके अपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच भय का वातावरण है जिससे समाज में अशांति है। इनकी आपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच आतंक, भय एंव दहशत का महौल व्याप्त है, जिस कारण से लोक शांति एंव विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में सन्हा दर्ज किया गया है। इसकी गतिविधि संदिग्ध है, जिसके कारण लोक व्यव्स्था अशांत होने की संभावना बनी रहती है विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार – विपक्षी के खिलाफ दर्ज मामलों मे से धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं० 34/2013 एवं धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं० 117/2017 मे उन्हे बरी कर दिया गया है। धुर्वा (तुपुदाना) थाना

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

कांड सं० 83/2013 मे पुलिस के द्वारा आरोप पत्र समर्पित नही किया गया है। धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं० 166/2013 वर्त्तमान मे लंबित है। इस वाद मे सूचक एवं अन्य साक्षियों के द्वारा विपक्षी के खिलाफ कुछ नही कहा गया है। धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं० 165/2023 मे अभी तक आरोप पत्र समर्पित नही किया है। विपक्षी के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई सनहा दर्ज नही कराया गया है। उपरोक्त सभी सनहा पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है। विपक्षी न तो असामजिक तत्व है ना ही उनके गतिविधियों या कृत्यों से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को नुकसान होने की संभवना है। विपक्षी अपने परिवार के एकमात्र सहारा है। विपक्षी के खिलाफ लगाये गये सारे आरोप गलत एवं बेबुनियाद है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक असमाजिक तत्व है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अपने सहयोगियों के साथ आये दिन धमकी, रंगदारी की घटनाओं को अंजाम देता है ये तथा इनके गुर्गों द्वारा आये दिन कही न कही आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इनके तथा इनके सहयोगियों के द्वारा राँची तथा आसपास के इलाको में रंगदारी एवं धमकी दी जा रही है। ये आए दिन हथियारों के बल पर आम जनता को धमकाते रहते हैं। उपरोक्त वर्णित तथ्य विपक्षी के सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव मे कोई ठोस आधार या सबूत पेश नही किया गया है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी सरवर खान, पिता स्व० शेख गफुर उर्फ स्व० गफुर खान, निवासी– सैदा बुमरु, थाना– धुर्वा, जिला–राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी सरवर खान, पिता स्व० शेख गफुर उर्फ स्व० गफुर खान, निवासी–

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

सैदा बुमरु, थाना— धुर्वा, जिला—राँची को दिनांक 27.12.2023 से दिनांक 26.03.2024 तक की अवधि के लिए तुपुदाना ओ० पी०, राँची में प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा— 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, तुपुदाना ओ०पी० के समक्ष रू0 10,000/—का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 26.12.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 27.12.2023 से दिनांक 26.03.2024 तक प्रत्येक दिन तुपुदाना ओ० पी०, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा— 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी सरवर खान, पिता स्व० शेख गफुर उर्फ स्व० गफुर खान, निवासी— सैदा बुमरु, थाना— धुर्वा, जिला—राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति सरवर खान, पिता स्व० शेख गफुर उर्फ स्व० गफुर खान, निवासी— सैदा बुमरु, थाना— धुर्वा, जिला—राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
राँची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:06:27 -08:00
Location: 192.168.1.4